संख्या-942/2026/409/22-2-2026-17(1162)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई,2026

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर पुत्र श्री खचेड़ू, निवासी जनपद-गाजियाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 09-02-2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर पुत्र श्री खचेड़ू, जो ग्राम-सीकरी खुर्द, थाना-मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 21.09.2009 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डंडे, हॉकी व नल की हत्थी से मारकर हरेन्द्र नामक व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-361/2010, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 452, 323/149, 506, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, गाजियाबाद के दण्डादेश दिनांक 13.12.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.08.2019 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.10.2025 तक अपरिहार 10 वर्ष, 00 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 00 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

अपर पुलिस उपायुक्त, गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना नगण्य होने, पुनः अपराध करने में लगभग अशक्त होने, बन्दी द्वारा हत्या जैसा अपराध किया है, किन्तु बन्दी की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक नहीं होने, यदि शासन द्वारा दयायाचिका पर समयपूर्व रिहाई प्रदान की जाती है तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा अपर पुलिस उपायुक्त, गाजियाबाद की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 30.10.2025 तक बन्दी की 57 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 30.10.2025 तक अपरिहार 10 वर्ष, 00 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 00 माह, 09 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर (बन्दी संख्या-1673/2023) पुत्र श्री खचेडू, निवासी जनपद-गाजियाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-942/2026/409(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।